

2021 का विधेयक संख्यांक

[दि एप्रोप्रिएशन (न० 2) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021

वित्तीय वर्ष 2021-22 की सेवाओं के लिए भारत की
संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय
और विनियोग को प्राधिकृत
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2021
है ।

संक्षिप्त नाम ।

2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों
से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग ग्यारह सौ इकहतर खरब, सड़सठ अरब,
ग्यारह करोड़, पैंतीस लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए,
जो अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2021-22 के
दौरान संदाय किए जाने होंगे, संदत्त और उपयोजित की जा सकेंगी ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के
लिए भारत की संचित
निधि में से
1171,67,11,35,00,000
रुपए का निकाला
जाना ।

3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित
किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त
सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी ।

विनियोग ।

4. अनुसूची में मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिर्देश, 18 जनवरी, 2021 से ठीक
पूर्व यथाविद्यमान ऐसे मंत्रालयों या विभागों के बारे में हैं और उस तारीख को या
उसके पश्चात् उनका यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे समय-समय पर यथा
पुनर्गठित समुचित मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिर्देश हैं ।

अनुसूची में मंत्रालयों या
विभागों के प्रतिनिर्देशों
का अर्थान्वयन ।

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2	3	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर	योग
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		₹	₹	₹
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	राजस्व पूंजी	12,29,61,57,00,000 56,00,00,000	12,29,61,57,00,000 56,00,00,000
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	राजस्व	85,13,62,00,000	...	85,13,62,00,000
3	परमाणु ऊर्जा विभाग	राजस्व पूंजी	1,63,91,20,00,000 1,14,03,20,00,000	1,00,00,000 ...	1,63,92,20,00,000 1,14,03,20,00,000
4	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	राजस्व	29,70,30,00,000	...	29,70,30,00,000
5	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	राजस्व पूंजी	2,29,64,00,000 3,50,00,000	2,29,64,00,000 3,50,00,000
6	उर्वरक विभाग	राजस्व पूंजी	8,35,96,77,00,000 4,44,62,00,000	8,35,96,77,00,000 4,44,62,00,000
7	भेषजीय विभाग	राजस्व पूंजी	4,61,29,00,000 9,12,00,000	4,61,29,00,000 9,12,00,000
8	नागर विमानन मंत्रालय	राजस्व पूंजी	31,84,15,00,000 40,52,00,000	31,84,15,00,000 40,52,00,000
9	कोयला मंत्रालय	राजस्व	5,34,88,00,000	...	5,34,88,00,000
10	वाणिज्य विभाग	राजस्व पूंजी	46,99,01,00,000 2,87,00,00,000	46,99,01,00,000 2,87,00,00,000
11	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	राजस्व पूंजी	65,70,66,00,000 12,11,58,00,000	65,70,66,00,000 12,11,58,00,000
12	डाक विभाग	राजस्व पूंजी	3,42,62,38,00,000 9,10,09,00,000	80,00,000 ...	3,42,63,18,00,000 9,10,09,00,000
13	दूरसंचार विभाग	राजस्व पूंजी	4,18,03,44,00,000 3,11,33,56,00,000	4,18,03,44,00,000 3,11,33,56,00,000
14	उपभोक्ता मामले विभाग	राजस्व पूंजी	31,91,55,00,000 46,05,00,000	31,91,55,00,000 46,05,00,000
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व पूंजी	25,12,48,34,00,000 5,27,25,96,00,000	25,12,48,34,00,000 5,27,25,96,00,000
16	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	राजस्व पूंजी	6,86,13,00,000 51,00,00,000	6,86,13,00,000 51,00,00,000

1	2	3	रु0	रु0	रु0
17	संस्कृति मंत्रालय	राजस्व	26,09,23,00,000	...	26,09,23,00,000
		पूँजी	78,76,00,000	...	78,76,00,000
18	रक्षा मंत्रालय (सिविल)	राजस्व	3,00,88,23,00,000	70,00,000	3,00,88,93,00,000
		पूँजी	76,98,41,00,000	50,00,00,000	77,48,41,00,000
19	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	राजस्व	23,19,45,49,00,000	1,01,44,00,000	23,20,46,93,00,000
20	रक्षा सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	पूँजी	13,49,78,85,00,000	81,87,00,000	13,50,60,72,00,000
21	रक्षा पेंशन	राजस्व	11,58,41,73,00,000	8,27,00,000	11,58,50,00,00,000
22	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	राजस्व	20,31,51,00,000	...	20,31,51,00,000
		पूँजी	6,52,49,00,000	...	6,52,49,00,000
23	पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय	राजस्व	17,38,69,00,000	...	17,38,69,00,000
		पूँजी	1,63,00,00,000	...	1,63,00,00,000
24	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व	10,36,73,66,00,000	...	10,36,73,66,00,000
25	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व	6,53,25,15,00,000	...	6,53,25,15,00,000
		पूँजी	25,50,00,000	...	25,50,00,000
26	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	राजस्व	92,74,66,00,000	...	92,74,66,00,000
		पूँजी	4,46,00,00,000	...	4,46,00,00,000
27	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	राजस्व	30,14,10,00,000	...	30,14,10,00,000
		पूँजी	1,22,48,00,000	...	1,22,48,00,000
28	विदेश कार्य मंत्रालय	राजस्व	1,66,63,95,00,000	3,00,000	1,66,63,98,00,000
		पूँजी	14,90,75,00,000	...	14,90,75,00,000
29	आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	46,49,12,00,000	...	46,49,12,00,000
		पूँजी	9,49,00,41,00,000	...	9,49,00,41,00,000
30	व्यय विभाग	राजस्व	4,54,74,00,000	...	4,54,74,00,000
31	वित्तीय सेवाएं विभाग	राजस्व	37,10,78,00,000	...	37,10,78,00,000
		पूँजी	4,78,00,03,00,000	...	4,78,00,03,00,000
32	विनिधान और लोक आस्ति प्रबंध विभाग (डी.आई.पी.ए.एम.)	राजस्व	1,10,52,00,000	...	1,10,52,00,000
33	राजस्व विभाग	राजस्व	20,14,99,60,00,000	2,00,000	20,14,99,62,00,000
		पूँजी	13,02,00,000	...	13,02,00,000
34	प्रत्यक्ष कर	राजस्व	81,80,34,00,000	...	81,80,34,00,000
		पूँजी	3,52,00,00,000	...	3,52,00,00,000
35	अप्रत्यक्ष कर	राजस्व	2,09,06,77,00,000	50,00,000	2,09,07,27,00,000
		पूँजी	4,52,00,00,000	...	4,52,00,00,000
36	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	राजस्व	52,09,97,00,000	2,00,00,00,000	54,09,97,00,000
		पूँजी	24,95,00,000	...	24,95,00,000
	भारित—ब्याज अदायगियां	राजस्व	84,71,95,79,00,000	...	84,71,95,79,00,000

1	2	3	₹0	₹0	₹0
	भारित—ऋण का प्रतिदाय	पूँजी	6,94,41,51,48,00,000	...	6,94,41,51,48,00,000
39	पेंशन	राजस्व	5,64,73,12,00,000	4,00,00,00,000	5,68,73,12,00,000
40	राज्यों को अंतरण	राजस्व	7,14,90,77,00,000	22,08,43,00,00,000	29,23,33,77,00,000
		पूँजी	1,00,00,01,00,000	4,68,50,00,00,000	5,68,50,01,00,000
41	मत्स्य विभाग	राजस्व	11,92,16,00,000	...	11,92,16,00,000
		पूँजी	28,68,00,000	...	28,68,00,000
42	पशुपालन और डेयरी विभाग	राजस्व	35,55,59,00,000	...	35,55,59,00,000
		पूँजी	44,39,00,000	...	44,39,00,000
43	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	राजस्व	13,08,66,00,000	...	13,08,66,00,000
44	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	11,47,71,54,00,000	...	11,47,71,54,00,000
		पूँजी	43,55,61,00,000	...	43,55,61,00,000
45	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	राजस्व	26,63,00,00,000	...	26,63,00,00,000
46	भारी उद्योग विभाग	राजस्व	9,27,85,00,000	...	9,27,85,00,000
		पूँजी	67,42,00,000	...	67,42,00,000
47	लोक उद्यम विभाग	राजस्व	21,81,00,000	...	21,81,00,000
48	गृह मंत्रालय	राजस्व	73,33,38,00,000	3,00,000	73,33,41,00,000
		पूँजी	2,86,99,00,000	...	2,86,99,00,000
49	मंत्रिमंडल	राजस्व	19,61,04,00,000	...	19,61,04,00,000
		पूँजी	1,37,00,00,000	...	1,37,00,00,000
50	पुलिस	राजस्व	9,54,24,05,00,000	8,02,00,000	9,54,32,07,00,000
		पूँजी	97,21,72,00,000	8,32,00,000	97,30,04,00,000
51	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	राजस्व	47,21,23,00,000	1,00,000	47,21,24,00,000
		पूँजी	6,66,17,00,000	...	6,66,17,00,000
52	चंडीगढ़	राजस्व	45,30,11,00,000	37,56,00,000	45,67,67,00,000
		पूँजी	5,08,45,00,000	1,10,00,00,000	6,18,45,00,000
53	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	राजस्व	27,98,76,00,000	...	27,98,76,00,000
		पूँजी	7,64,83,00,000	...	7,64,83,00,000
54	लद्दाख	राजस्व	23,31,64,00,000	...	23,31,64,00,000
		पूँजी	36,26,36,00,000	...	36,26,36,00,000
55	लक्षद्वीप	राजस्व	12,38,21,00,000	...	12,38,21,00,000
		पूँजी	2,29,10,00,000	...	2,29,10,00,000
56	दिल्ली को अंतरण	राजस्व	9,57,50,00,000	...	9,57,50,00,000
		पूँजी	1,00,000	...	1,00,000
57	जम्मू-कश्मीर को अंतरण	राजस्व	3,07,57,00,00,000	...	3,07,57,00,00,000
58	पुडुचेरी को अंतरण	राजस्व	17,29,78,00,000	...	17,29,78,00,000
		पूँजी	1,00,000	...	1,00,000

1	2		₹0	₹0	₹0
59	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	राजस्व पूँजी	3,68,85,14,00,000 2,57,23,95,00,000	1,06,85,00,000 35,07,00,000	3,69,91,99,00,000 2,57,59,02,00,000
60	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	राजस्व पूँजी	40,58,61,00,000 12,62,00,000	40,58,61,00,000 12,62,00,000
61	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	राजस्व पूँजी	87,56,92,00,000 3,44,77,00,000	87,56,92,00,000 3,44,77,00,000
62	पेय जल और स्वच्छता विभाग	राजस्व	12,80,24,45,00,000	...	12,80,24,45,00,000
63	श्रम और रोजगार मंत्रालय	राजस्व पूँजी	1,32,69,37,00,000 37,13,00,000	1,32,69,37,00,000 37,13,00,000
64	विधि और न्याय	राजस्व पूँजी	17,45,82,00,000 11,00,00,00,000	17,45,82,00,000 11,00,00,00,000
65	निर्वाचन आयोग	राजस्व पूँजी	2,42,16,00,000 7,00,00,000	2,42,16,00,000 7,00,00,000
	भारित—भारत का उच्चतम न्यायालय	राजस्व	...	3,34,96,00,000	3,34,96,00,000
67	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	राजस्व पूँजी	1,53,29,65,00,000 3,70,00,00,000	1,53,29,65,00,000 3,70,00,00,000
68	खान मंत्रालय	राजस्व पूँजी	14,98,49,00,000 68,33,00,000	14,98,49,00,000 68,33,00,000
69	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	राजस्व पूँजी	46,57,75,00,000 1,53,02,00,000	46,57,75,00,000 1,53,02,00,000
70	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	राजस्व पूँजी	57,43,00,00,000 10,00,00,000	57,43,00,00,000 10,00,00,000
71	पंचायती राज मंत्रालय	राजस्व	9,13,43,00,000	...	9,13,43,00,000
72	संसदीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	65,07,00,000	...	65,07,00,000
73	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	राजस्व पूँजी	18,29,93,00,000 1,86,71,00,000	30,28,00,000 11,65,00,000	18,60,21,00,000 1,98,36,00,000
	भारित—केंद्रीय सतर्कता आयोग	राजस्व	...	38,67,00,000	38,67,00,000
75	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व पूँजी	1,58,66,78,00,000 4,27,00,00,000	1,58,66,78,00,000 4,27,00,00,000
76	योजना मंत्रालय	राजस्व पूँजी	10,61,99,00,000 78,00,000	10,61,99,00,000 78,00,000
77	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	राजस्व पूँजी	18,59,35,00,000 3,53,00,00,000	18,59,35,00,000 3,53,00,00,000
78	विद्युत मंत्रालय	राजस्व पूँजी	1,77,27,03,00,000 31,80,77,00,000	1,77,27,03,00,000 31,80,77,00,000

1	2	3	रु0	रु0	रु0
	भारित—राष्ट्रपति के राजस्व	...		74,47,00,000	74,47,00,000
	कर्मचारिवृन्द, गृह और भत्ते				
80	लोक सभा राजस्व	8,54,00,00,000	1,00,00,000	8,55,00,00,000	
81	राज्य सभा राजस्व	4,45,29,00,000	1,21,00,000	4,46,50,00,000	
82	उपराष्ट्रपति का सचिवालय राजस्व	7,43,00,000	...	7,43,00,000	
	भारित—संघ लोक सेवा आयोग राजस्व	...	3,04,17,00,000	3,04,17,00,000	
84	रेल मंत्रालय राजस्व	27,59,86,65,00,000	4,66,00,00,000	27,64,52,65,00,000	
	पूँजी	30,48,36,88,00,000	92,08,00,000	30,49,28,96,00,000	
85	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजस्व	1,96,68,06,00,000	...	1,96,68,06,00,000	
	पूँजी	20,78,40,29,00,000	10,00,00,000	20,78,50,29,00,000	
86	ग्रामीण विकास विभाग राजस्व	23,40,19,08,00,000	...	23,40,19,08,00,000	
87	भू-संसाधन विभाग राजस्व	21,70,42,00,000	...	21,70,42,00,000	
88	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्व	59,49,57,00,000	2,00,000	59,49,59,00,000	
	पूँजी	1,22,00,00,000	...	1,22,00,00,000	
89	जैव प्रौद्योगिकी विभाग राजस्व	35,02,37,00,000	...	35,02,37,00,000	
90	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग राजस्व	52,02,12,00,000	...	52,02,12,00,000	
	पूँजी	22,15,00,000	...	22,15,00,000	
91	कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय राजस्व	27,11,53,00,000	...	27,11,53,00,000	
	पूँजी	73,70,00,000	...	73,70,00,000	
92	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राजस्व	1,01,97,62,00,000	...	1,01,97,62,00,000	
	पूँजी	3,70,00,00,000	...	3,70,00,00,000	
93	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग राजस्व	11,71,76,00,000	...	11,71,76,00,000	
	पूँजी	1,00,000	...	1,00,000	
94	अंतरिक्ष विभाग राजस्व	57,19,86,00,000	60,00,000	57,20,46,00,000	
	पूँजी	82,28,23,00,000	40,00,000	82,28,63,00,000	
95	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राजस्व	13,96,09,00,000	...	13,96,09,00,000	
	पूँजी	13,04,00,000	...	13,04,00,000	
96	इस्पात मंत्रालय राजस्व	39,25,00,000	...	39,25,00,000	
97	वस्त्र मंत्रालय राजस्व	35,91,61,00,000	...	35,91,61,00,000	
	पूँजी	40,03,00,000	...	40,03,00,000	
98	पर्यटन मंत्रालय राजस्व	20,32,04,00,000	...	20,32,04,00,000	
99	जनजातीय कार्य मंत्रालय राजस्व	28,16,52,00,000	47,08,33,00,000	75,24,85,00,000	
	पूँजी	2,00,000	...	2,00,000	
100	महिला और बाल विकास मंत्रालय राजस्व	2,49,30,00,00,000	...	2,49,30,00,00,000	
	पूँजी	5,00,00,000	...	5,00,00,000	
101	युवा कार्य और खेल मंत्रालय राजस्व	25,49,41,00,000	...	25,49,41,00,000	
	पूँजी	46,73,00,000	...	46,73,00,000	
	योग :	3,65,04,46,75,00,000	80,662,64,60,00,000	1171,67,11,35,00,000	

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए, जो संचित निधि पर भारत व्ययों और लोक सभा द्वारा केंद्रीय सरकार के व्ययों के लिए किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं, पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

निर्मला सीतारामन